



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 929 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 929

विषय/Sub: हीट रेसिस्टेंट निकल बेस सूपर अलॉय: सूपरनि-263ए(कोल्ड रोल्ड शीट्स)

Heat Resistant Nickel Base Super Alloy: Superni – 263A (Cold Rolled Sheets)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग पी.ओ, हैदराबाद – 500 058 द्वारा विकसित और उत्पादित, “ हीट रेसिस्टेंट निकल बेस सूपर अलॉय: सूपरनि-263ए(कोल्ड रोल्ड शीट्स) ” को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-929, दिनांक 27 अगस्त 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 929 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-929/2आर, दिनांक 24 मई 2011 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जो कि 30 जून 2016 तक वैध है।

This is to state that the “Heat Resistant Nickel Base Super Alloy: Superni – 263A- Cold Rolled Sheets, developed and manufactured by M/s. Mishra Dhatu Nigam Limited, Kanchanbagh P.O, Hyderabad – 500 058, was issued with Type Approval No. 929 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-929, Dated: 27th August 2001 and subsequently Renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-929/2R, Dated: 24th May 2011 and is valid up to 30th June 2016.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन(3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (मेटीरियल्स), हैदराबाद – 500 058, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st May 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Materials), Hyderabad – 500 058, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 929/3R

दिनांक/Date : 12 May 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल /P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)